Hindi Update on IGST Refund SB005 error

पुरानी Excise regime में एक्सपोर्टर को रिबेट क्लेम manually लगाना पड़ता था तथा उसका प्रोसेस भी एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा मैनुअली ही होता था। जीएसटी आने के बाद निर्यातको को IGST refund सिस्टम से मिलने लग गया। अभी तक हमने मैनुअल proces के गुण और दोष ही देखे थे परंतु जीएसटी आने के बाद सिस्टम के गुण और दोष भी पता लगने लग गए। सिस्टम छोटी से छोटी गलती भी सुधारने के लिए कहता है तथा इसके कारण रिफंड अटक जाता है।

अगर आपका invoice नंबर शिपिंग बिल व जीएसटी के रिटर्न GSTR-1 में सही नहीं दर्शाया गया है तो भी रिफंड अटक सकता है। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है जैसे कि शिपिंग बिल में एक्सपोर्टर का इनवॉइस नंबर 001/2019-20 है तथा जीएसटी R1 में यह 001-2019-20 दिखाया गया है तो एक अक्षर की गलती के कारण भी आपका रिफंड क्लेम अटक सकता है। इस तरह की error को SB005 कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए अगले महीने के GSTR1 में निर्यातक को शिपिंग बिल में दर्शाया गया invoice number ही दिखाना होता है। चाहे इनवॉइस नंबर शिपिंग बिल में गलत आया है परंतु उसको amend करने की कोई भी utility नहीं है इसलिए हमें GSTR-1 को ही सही करना होता है।

इसके अलावा सरकार ने कस्टम सर्कुलर 5/2018 dated 23 फरवरी, 2018 निकाल कर निर्यातकों को एक सुविधा दी थी जिसमें वह कस्टम ऑफिसर से निवेदन कर सकते हैं कि उनका इनवॉइस नंबर सिस्टम में ठीक कर दिया जाए। इस पर कस्टम ऑफिसर उसको ठीक कर कर रिफंड दे सकता था। परंतु बोर्ड ने बार-बार यह कहा कि निर्यातक अपने GSTR-1 रिटर्न पूरे ध्यान से भरें। वह कोई भी गलती ना करें। गलती करने पर उनका रिफंड रुक सकता है। परंतु इस तरह की गलतियां लगातार होती रही और कस्टम विभाग ने समय-समय पर सर्कुलर निकालकर इस तरह की गलतियों को सुधारने की सुविधा निर्यातकों को देकर उनको रिफंड दिया। इसके लिए कस्टम विभाग ने सर्कुलर नंबर 8/2018, 15/2018, 22/2018 निकाल कर SB005 error को ठीक करके निर्यातकों को रिफंड दिया। यह error निर्यातकों द्वारा लगातार की जा रही है तथा कोविड-19 से उत्पन्न lockdown की स्थिति में exporters की मदद के

लिए सरकार ने एक और नया सर्कुलर 22/2020 Dated 21.04.2020 निकालकर SB005 की error को manually ठीक कर के exporters को जल्दी से जल्दी रिफंड देने की कोशिश कर रही है। जिनके शिपिंग बिल जोकि दिनांक 31.12.2019 तक कस्टम पोर्टल पर फाइल हो चुके हैं उन सभी निर्यातकों को यह सुविधा दी गई है। यह सुविधा इसलिए दी गई क्योंकि पोर्टल पर अभी भी SB005 की error के कारण बहुत सारे रिफंड क्लेम अटके हुए हैं तथा एक्सपोर्टर्स को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है।

यदि SB005 error जो कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के कारण GSTR-1 and Shipping Bill file करने के दौरान हो गई है इस हेतु निर्यातकों को निम्न दस्तावेज Customs विभाग को देने की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार है Two Set Invoice, one tax invoice of GST एवं other commercial invoice for exporter ताकि इस समस्या का समाधान अतिशीघ् किया जा सके।

सरकार ने साथ में यह भी हिदायत दी है की आगे से इस तरह की गलती ना हो ताकि आईजीएसटी रिफंड क्लेम जल्दी से जल्दी निर्यातकों को दिए जा सके।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.